न्यायालय उपजिला कलक्टर, अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)

पीठासीन अधिकारी :—सुरेश राव (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या:—157 / 2023

जी.सी.एम.एस नं.—2023 / 376

नानुराम पुत्र गणेशाराम जाति नायक निवासी श्रीकरणपुर तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर (राज

—— अपीलान्टस्

बनाम्

1. कमला पुत्री हरीराम पत्नी चुनाराम जाति नायक निवासी भागसर तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राज.)
2. पुनम पुत्री हरीराम पत्नी रमेश जाति नायक निवासी चक 87 जी बी तहसील अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)
3. पप्पु पुत्री हरीराम जाति नायक निवासी श्रीकरणपुर तहसील श्रीकरणपुर तहसील श्रीगंगानगर जिला श्रीगंगानगर (राज.)
4. माया देवी पुत्री हरीराम पत्नी पूर्णराम जाति नायक निवासी चक 88 जी बी तहसील अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)
5. विमला उर्फ सीमा देवी पुत्री हरीराम जाति नायक निवासी श्रीकरणपुर तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर (राज.)
6. सुंदरा देवी पत्नी हरीराम जाति नायक निवासी श्रीकरणपुर तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर (राज.)
7. तीजा देवी पुत्र मालुराम पत्नी स्व0 पप्पु जाति नायक निवासी चक 9 एल एस एम तहसील अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)
8. राजु पुत्र मालुराम जाति नायक निवासी फैक्ट्री बस स्टेण्ड, 24 एपीडी तहसील अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)
9. सुनीता पुत्री मालुराम जाति नायक निवासी श्रीकरणपुर तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर (राज.)
10. नरेन्द्र पुत्र मुखराम जाति नायक निवासी 65 एन पी तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर (राज.)
11. नीलम पुत्री मुखराम पत्नी जग्गु जाति नायक निवासी भागसर तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राज.)
12. विजय लक्ष्मी पुत्र मुखराम जाति नायक निवासी 65 एन पी तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर (राज.)
13. विनोद पुत्र मुखराम जाति नायक निवासी वार्ड नं.—11 रायसिंहनगर तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर (राज.)
14. मुन्ना उर्फ मनोहरी देवी पुत्र गणेशाराम पत्नी हरिभजन जाति नायक निवासी चक 4 एलसी(बी) तहसील श्रीविजयनगर जिला श्रींगगानगर (राज.)
15. सरपंच ग्राम पंचायत 30 एपीडी, पंचायत समिति अनूपगढ़ (राज.)
16. स्टेट आफॅ राजस्थान जरिए तहसीलदार राजस्व अनूपगढ़ (राज.)

————रेस्पोडेन्टस

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Rao
Date: 2025.10.08 13:42:43 IST
Reason: SelfAttested

अपील विरूद्ध आदेश इतकाल सं. [illegible]

20 / 09 / 2023 ग्राम [illegible] 30 [illegible]

वकील उपस्थित

1. श्री साहब राम एडवोकेट — अपीलाण्ट की ओर से
2. श्री राजेन्द्र सिंह एडवोकेट — रेस्पोडेंटस सं.—1 ता 6 व 10 ता 12 व 14 की ओर से
3. एक पक्षीय कार्यवाही — रेस्पोडेटस सं.—7 ता 9 व 13, 15

सुरेश राव आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़

— :: निर्णय :: —

दिनांकः—30.06.2025

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 15 अपीलाण्ट, रेस्पोडेंटस सं.— की माता/सास/दादी रूकमादेवी पत्नी गणेशाराम जाति नायक निवासी श्रीकरणपुर के नाम से कृषि भूमि वाके चक 27 एपीडी (ए) तहसील अनूपगढ़ का मुरब्बा नं—14 पत्थर सं—313/401 का किला नं—1 ता 25 की 6.3250 हैक्टर कमाण्ड रकबा राजस्व रिकार्ड में बतौर खातेदारी दर्ज थी। उक्त कृषि भूमि अपीलाण्ट की माता रूकमादेवी के नाम से दिनांक 23—8—1973 को आवंटन हुई थी। जिसकी खातेदारी सनद जिला कलक्टर श्रीगंगानगर द्वारा दिनांक 28—4—1998 को अपीलाण्ट की माता रूकमादेवी के नाम से जारी की गई है। रूकमा देवी का दिनांक 18.04.1999 को देहांत हो चुका है। रूकमा देवी ने अपने जीवनकाल में उक्त वादग्रस्त कृषि भूमि की एक वसीयत दिनांक 22.03.1999 को अपीलाण्ट के पक्ष में रोबरू गवाहान तहरीर कर एडवोकेट एवं नोटेरी से तस्दीक करवा कर असल वसीयत वादी के सुपुर्द की थी। रूकमा देवी की पुत्री मुन्नीदेवी हैं जो शादी शुदा हैं मुन्नीदेवी को उसके हिस्सानुसार उसकी शादी में दान दहेज दे दिया था जो अपने सुसराल में निवास कर रही हैं अपीलाण्ट अपनी माता के जीवन काल अपनी माता के साथ ही रहता था तथा अपनी माता के जीवन काल में अपनी माता के साथ मिल कर उक्त वादग्रस्त कृषि भूमि को काश्त करता था अपीलाण्ट अपनी माता के देहांत के बाद वसीयत के आधार पर उक्त रकबा पर शांति पूर्वक काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है तथा वादग्रस्त कृषि भूमि की पानी की पर्ची भी अपीलाण्ट के नाम से चली आ रही है। वर्तमान में अपीलाण्ट द्वारा वादग्रस्त कृषि भूमि पर फसल बिजांद की गई है। अपीलाण्ट ने वसीयत के आधार पर एक प्रार्थना पत्र दिनांक 2—6—2005 को तहसीलदार राजस्व अनूपगढ़ के समक्ष प्रस्तुत किया। जिसमे यह अंकित किया कि प्रार्थी के नाम से चक 27 एपीडी (ए) तहसील अनूपगढ़ का खाता सं—26 पुराना, नया खाता सं—27 मुरब्बा नं 14 पत्थर सं—313/401 का किला नं—1 ता 25 की 6.3250 हैक्टर कमाण्ड रकबा का इंतकाल दर्ज किया जावे। जिस पर प्रार्थना पत्र को क्रम सं—51/2005 पर दर्ज किया गया। तत्पश्चात समस्त वसीयत की कार्यवाही करते हुऐ तहसीलदार अनूपगढ द्वारा अपीलाण्ट के पक्ष में दिनांक 7—9—2005 को वसीयत दिनांक 23—3—1999 के अनुसार उक्त रकबा का इंतकाल सं—55 राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया गया। अपीलाण्ट कि पक्ष में इंतकाल सं.—55 दर्ज होने के पश्चात सुंदरा देवी पत्नी हरीराम, हसंराज पुत्र हरीराम, राजु पुत्र मालुराम द्वारा उक्त इंतकाल की अपील अतिरिक्त जिला कलक्टर सूरतगढ़ के समक्ष प्रस्तुत कर इंतकाल सं—55 को मुन्सुख करवाने का निवेदन किया गया। जिसमे दोनो पक्षो को सुनने के पश्चात मुझ अपीलाण्ट के नाम से दर्ज इंतकाल सं—55 को दिनांक 23—12—2005 को खारिज कर पत्रावली इस निर्देश के साथ तहसीलदार अनूपगढ को रिमाण्ड की उभय पक्षो को सुनवाई का उचित अवसर देकर प्रकरण का निस्तारण किया जावे व अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड मय निर्णय की प्रति वापिस भिजवायी जावे। अतिरिक्त जिला कलक्टर सूरतगढ़ के आदेशानुसार पत्रावली की अधिनस्थ न्यायालय में भेजा जाना था परन्तु अधिनस्थ न्यायालय में पत्रावली आज रोज तक नहीं भेजी गई है। अपीलाण्ट ने आदेश से लेकर कई समय तक तहसीलदार अनूपगढ़ के समक्ष उपस्थित होकर यह निवेदन किया गया मुझ प्रार्थी की वसीयत रिमाण्ड पत्रावली अतिरिक्त जिला कलक्टर सुरतगढ़ [illegible] प्रार्थी की वसीयत की कार्यवाही अमल में लाई जावे। परन्तु अपीलाण्ट [illegible] अनूपगढ़ द्वारा बार—2 उपस्थित होने पर यह आश्वासन दि[illegible] प्राप्त हो जावेगी, आपको नोटिस द्वारा सूचित कर दिया जावेगा। तब आप उक्त [illegible] प्रकरण में अपना पक्ष रख कर समुचित कार्यवाही कर सकते है। [illegible] ना लगावे क्योंकि आपके पास उक्त रकबा का कब्जा काश्त है आप अपने कब्जा [illegible] को कायम रखते हुऐ काम करे। परन्तु प्रार्थी को दिनांक 19—10—2023 को मुन्ना उर्फ मनोहरीदेवी द्वारा एक वाद पत्र उपजिला कलक्टर अनूपगढ में पेश किया जिसका नोटिस प्रार्थी को प्राप्त हुआ। तब प्रार्थी को यह ज्ञात हुआ कि उक्त रकबा की वसीयत के अनुसार कोई सुनवाई ना होकर विरास्तन

कार्यालय उप जिला कलक्टर जिला श्रीगंगानगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Rao
Date: 2025.10.08 13:42:43 IST
Reason: SelfAttested

सुरेश
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़

इंतकाल सं–219 दिनांक 20–9–2023 को रेस्पोडेंट सं–16 द्वारा दर्ज कर दिया गया है। जिससे व्यथित होकर अपीलाण्टस यह अपील निम्न आधारो पर प्रस्तुत कर रहा है रेस्पोडेंट सं–16 द्वारा दर्ज किया गया अपीलाधीन इंतकाल सं–219 दिनांक 20–9–2023 को विधि विरूद्ध, प्राकृतिक न्यायिक सिद्धांतो के विपरित होने के कारण निरस्ती योग्य है। प्रमाणित प्रति सलग्न अपील है। अपीलाण्टस की माता रूकमादेवी के देहांत होने के बाद रेस्पोडेंट सं–16 ने कानूनी प्रावधानो के विपरित जाकर रूकमादेवी के नाम की कृषि भूमि का विरास्तन इंतकाल सं–219 दिनांक 20–9–2023 को रेस्पोडेंटस सं–1 ता 15 के पक्ष मे दर्ज किया है जबकि रूकमादेवी के समस्त वारिसान यह बाखुबी जानते थे उनकी माता/सास/दादी रूकमा देवी द्वारा नाम से आवंटित कृषि भूमि की वसीयत अपीलाण्ट के पक्ष में निष्पादित कर रखी तथा विवादित कृषि भूमि पर अपीलाण्ट का ही कब्जा काश्त चला आ रहा है जिसका प्रकरण भी विभिन्न अदालतो में जैरकार था लेकिन इसके बावजुद भी रेस्पोडेंट सं.–16 ने आनन फानन में विवादित कृषि भूमि का विरास्तन इंतकाल रेस्पोडेट सं.–1 ता 15 के पक्ष में दर्ज कर दिया जो कानून के विपरित होने के कारण निरस्त योग्य है। रेस्पोडेंट सं–16 विवादित कृषि भूमि के संबंध में विरास्तन नामातंरण दर्ज करने से पूर्व वसीयती प्रकरण के बारे में किसी प्रकार की कोई सुनवाई अमल में नहीं आई गई है व अपीलाधीन आदेश में दर्ज कृषि भूमि के संबंध में भौतिक सत्यापन नही किया गया कि उक्त कृषि भूमि पर भौतिक रूप से किसका कब्जा है, मौका की स्थिति क्या है लेकिन रेस्पोडेंट सं–16 ने उपरोक्त समस्त तथ्यो को नजर अदांज करते हुऐ अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो निरस्ती योग्य है। रेस्पोडेंट सं–16 ने रेस्पोडेंटस सं–1 ता 15 के पक्ष मे विरास्तन इंतकाल दर्ज करने से पूर्व अपीलाण्टस को किसी प्रकार की कोई सूचना/नोटिस नही दिया तथा ना ही सार्वजनिक रूप से कोई सूचना प्रकाशित करवाई। यदि रेस्पोडेंट सं–16 द्वारा विरास्तन इंतकाल दर्ज करने से पूर्व अपीलाण्ट को सुनवाई का अवसर दिया जाता तो अपीलाण्ट रेस्पोडेंट सं–16 के समक्ष उपस्थित होकर सारी स्थिति स्पष्ट करता। लेकिन रेस्पोडेंट सं–16 को विरास्तन इंतकाल दर्ज करने से पूर्व कानून मे दिऐ गऐ प्रावधानो की अनदेखी की गई है। इसलिए भी रेस्पोडेंट सं–16 द्वारा दर्ज किया गया इंतकाल निरस्ती योग्य है। उक्त कृषि भूमि के संबंध में वसीयती प्रकरण विभिन्न अदालतों मे जैरकार थे तहसील तहसीलदार लेण्ड होल्डर होने के कारण पक्षकार था। इसलिए धारा–52 ट्रासफर ऑफ प्रोंपर्टी एक्ट के तहत यदि प्रकरण न्यायालय में जैरकार है तो वह सम्पति कानून अन्य के नाम से ट्रांसफर नहीं की जा सकती है। प्रस्तुत प्रकरण ने मामला राजस्व न्यायालय में जैरकार था। इन हालात में इंतकाल गैर कानूनी होने के कारण निरस्ती योग्य है मुन्ना उर्फ मनोहरीदेवी द्वारा उपजिला कलक्टर अनूपगढ में प्रस्तुत बाद पत्र व अनवानी मुन्ना उर्फ मनोहरीदेवी बनाम् नानुराम आदि में जारी नोटिस दिनांक 19–10–2023 को अपीलाण्ट को प्राप्त होने पर सर्वप्रथम अपीलण्ट को नामातंरण सं–219 का इल्म हुआ तथा इल्म होने के रोज से अपीलाण्ट अपील अंदर मियाद प्रस्तुत है।

अतः अपील प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील अपीलाण्टस स्वीकार की जाकर रेस्पोडेंटस सं–16 द्वारा कृषि भूमि वाके चक–27 एपीडी (ए) तहसील अनूपगढ़ का खाता सं–26 पुराना, नया खाता सं–27 मुरब्बा नं–14 पत्थर सं–313/401 का किला नं–1 ता 25 की 6.3250 हैक्टर क़माण्ड रकबा के संबंध से रेस्पोडेंटस सं–1 ता 15 के पक्ष में दर्ज इंतकाल सं–219 दिनांक 20–9–2023 को निरस्त किया जावे।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्ट [illegible] संख्या 1 ता 6 व 10 ता 12 व 14 की तरफ से अधिवक्ता श्री राजेन्द्रसिंह उपस्थित आए। अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया।

बहस अपील सुनी गई। अपीलांट अधिवक्ता ने अपील के तथ्यो को दोहराते हुये इंतकाल निरस्त करने का निवेदन किया। रेस्पोडेंट अधिवक्ता ने विरोध करते हुये मुख्यतः कथन किया कि नामान्तकरण की कार्यवाही संक्षिप्त कार्यवाही हैं जिसमें विरासतन के आधार पर सही नामान्तकरण दर्ज किया जावे। विवादग्रस्त भूमि मृतक रूकमा देवी खातेदारी भूमि है। इस

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Rao
Date: 2025.10.08 13:42:43 IST
Reason: SelfAttested

उप जिला कलेक्टर
जिला श्रीगंगानगर

सुरेश राव
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़

बिन्दु पर कोई विवाद नहीं है वसीयत जैसे जटिल कानूनी बिन्दु को इन्तकाल जैसी सक्षिप्त कार्यवाही में निर्णीत नहीं किया जा सकता हैं यहां प्राकृतिक उत्तराधिकार एवं वसीयत के आधार पर विवाद हो वहां प्राकृतिक उतराधिकार को मान्यता दी जानी चाहिये। वसीयत जैसे जटिल बिन्दू पर इस अपील में व नामान्तकरण कार्यवाही तय नहीं किया जा सकता। अपीलांट ने कानूनन नियमित वाद पेश करना चाहिये। अपील खारिज की जावे।

पत्रावली का अवलोकन किया गया एंवम् बहस में उभय पक्षकारान द्वारा उठाये गये बिन्दूओं पर गौर किया गया। न्यायालय की राय में वसीयत के आधार पर नियमित वाद के तहत अधिकारों की घोषणा करवाई जानी चाहिये। इस स्तर पर वसीयत को इस बात का प्रमाण नहीं माना जा सकता कि प्राकृतिक वारिसान के नाम से स्वीकृत विरासतन नामान्तकरण अवैध है। इन्तकाल जैसी संक्षिप्त कार्यवाही में वसीयत के आधार पर अपीलाण्ट के पक्ष में कोई निर्णय पारित नही किया जा सकता है। अतः उक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में अपीलान्ट को अपील निरस्त किये जाने योग्य है।

—:: आदेश ::—

अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से इसी स्तर पर निरस्त की जाती है।

निर्णय आज **दिनांक 30.06.2025** को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

सुरेश राव
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़

कार्यालय उप जिला कलक्टर जिला श्रीगंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Suresh Kumar Rao
Date: 2025.10.08 13:42:43 IST
Reason: SelfAttested